

समाचार पत्रों की कतरनें

जुलाई 2024

निजी ऑपरेटरों को मिलेंगे 158 बस रूट परिवहन विभाग ने सरकार से मांगी मंजूरी, लोगों को होगी सुविधा



शकील कुरेशी — शिमला

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा देने के लिए 158 और बस रूट प्राइवेट बस ऑपरेटरों को देने की तैयारी है। हाल ही में सरकार से 108 रूट प्राइवेट को देने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा और रूटों को देने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी गई है। परिवहन विभाग की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जिसके बाद मसौदा कैबिनेट को भेजने की तैयारी है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आवेदन मांगे जाएंगे और रूट चिन्हित कर आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एचआरटीसी से कई रूट लिए जा सकते हैं, जहां पर उनको घाटे का

सामना करना पड़ रहा है। इन रूटों को प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए एडवर्टाइज किया जाएगा और उनकी तरफ से आवेदन आने के बाद इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग की तरफ से इस तरह का मामला भेजा जाएगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने प्रदेश की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में भी कुछ संशोधन सुझाए हैं और उन संशोधनों का मसौदा भी कैबिनेट को भेजा जाएगा। इससे आने वाले दिनों में प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए कुछ राहत मिल सकेगी, क्योंकि यदि उनको ऐसे रूटों पर चलाना है, जहां पर घाटा हो रहा है, तो कुछ रियायतें सरकार को देनी होंगी। प्राइवेट बसों का संचालन बढ़ने से रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य में प्राइवेट बस ऑपरेटर भी आम जनता को यातायात की बेहतरीन सुविधा दे रहे हैं। इनकी भी प्रदेश में हजारों की संख्या में बसें हैं और अहम बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। प्रदेश में कुछ बड़े प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं, जिनकी बसें शहरों से होते हुए दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं।



एचआरटीसी को नुकसान

सरकार ऐसा इसलिए भी करना चाहती है, क्योंकि एचआरटीसी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। एचआरटीसी आम जनता को सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के चलते सुविधा प्रदान कर रही है जिसमें उसे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां एचआरटीसी के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, वहीं पेंशनभोगियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की देनदारी एचआरटीसी की है, जो अब अपने घाटे की समीक्षा करने जा रहा है। घाटे की समीक्षा में कई कारण सामने आएंगे। इनमें से घाटे के रूट एक बड़ी वजह है। लिहाजा प्रदेश सरकार से 158 और रूट प्राइवेट को देने की मंजूरी मांगी जा रही है।

प्राइवेट संचालकों को 108 रूट देने की मिली है मंजूरी

प्राइवेट बस ऑपरेटर खुद चाहते हैं कि यहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा रूट मिलें। बताया जाता है कि हाल ही में सरकार ने 108 रूटों को प्राइवेट संचालकों को देने का निर्णय लिया था जिसके बाद परिवहन विभाग ने इन रूटों को एडवर्टाइज भी कर दिया है। इनके लिए आवेदन आने भी शुरू हो गए हैं और अब इसके बाद 158 रूट देने की तैयारी है। जैसे ही सरकार से इसकी मंजूरी मिलती है, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पूरे प्रदेश में इस तरह के रूट प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए जाएंगे। इससे उनके फलित में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी।

“लोगों को सुविधा देने के लिए कुछ नए रूट चलाए जाएंगे और पुराने रूटों को भी बहाल किया जाएगा। इन रूटों पर प्राइवेट बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जल्दी ही मामला कैबिनेट में जाएगा और सरकार को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे

आर.डी.नजीम, प्रधान सचिव, परिवहन

सड़क दुर्घटनाएं रोकने को नए सिरे से एक्शन प्लान

इस महीने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी परिवहन विभाग की बैठक, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाने को काम शुरू

वीक रिपोर्ट — शिमला

हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोकने को सरकार नए सिरे से एक्शन प्लान बनाएगी। इसी महीने जुलाई में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसमें परिवहन विभाग पहले से ज्यादा बजट की डिमांड करेगा, वहीं कुछ नए प्रयास करने को लेकर भी मंजूरी ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में हादसों के प्रयासों से लोगों में जागरूकता जरूर आई है। वहीं कई दूसरे उपाय करने से वहां पर सड़क हादसों में भी कमी देखने को



मिलती है। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर अलग से बजट काम कर रहा है, जो मुर्राम कोर्ट की कमेटी के निर्देशों पर काम करता है।

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को इनके माध्यम से समय-समय पर

सड़क हादसों रोकने को सख्त नए नियम

आने वाले समय के लिए एक्शन प्लान बनाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में नियमों को और अधिक कड़ा करके सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। गाड़ियों की फिटनेस पर आने वाले समय में ज्यादा कड़ाई करने की सोची जा रही है। इनके लिए परिवहन विभाग द्वारा ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिन पर तत्पक्ष काम शुरू हो गया है। घालकों को ड्राइविंग टेस्ट भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होगा, जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। सभी तरह की प्रक्रियाओं को करने के लिए विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिससे वाहन मालिकों को भी असुली रहेगी।

हिमाचल से संबंधित रिपोर्ट भी जाती है। इस बिंग में चार अलग-अलग विभागों के अधिकारों रखे गए हैं, जिसमें परिवहन, पुलिस,

शिखा व स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों को कार्यभार दिया है। प्रदेश में लगभग 70 लाख की आबादी में साढ़े 22

लाख वाहन हैं, जिनमें से साढ़े तीन लाख वाहन कार्मार्शियल हैं और 15 लाख 90 हजार लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं। सड़क सुरक्षा के लिए जो अधिकारों काम करते हैं, उनमें 12 आरटीओ हैं, दो 82 आरएलए हैं जो परिवहन विभाग के काम के साथ सड़क सुरक्षा का जिम्मा भी प्रदेश में देख रहे हैं। सड़क सुरक्षा सेल के माध्यम प्रदेश में दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। यह प्रदेश भर में ट्रेनिंग करवाते हैं, वर्कशॉप करवाई जाती है और खासकर स्कूल व कॉलेज के बच्चों को इसमें जोड़कर

पहले से ज्यादा बजट की डिमांड रखेगा विभाग
कई तरह के प्रयासों से सड़क हादसों में आई कमी

उनके माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। प्रदेश के 1900 स्कूलों, 135 कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब बनाए हैं। जगह-जगह पर सड़क दुर्घटनाओं पर जागरूक करने के लिए प्रदर्शनीयां लगाई जाती हैं वहीं मेलों आदि में भी रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता के लिए विशेष आयोजन किए जाते हैं।

प्रदेश में ब्लैक रीपोर्ट खत्म

सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए ब्लैक रीपोर्ट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इन पर काम कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भेजी गई है। बता दें कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 2597 दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी जबकि पिछले साल 2023 में 2253 दुर्घटनाएं हुईं। इसमें 13.24 कीसरी की कमी दर्ज की गई है। दुर्घटनाओं में वर्ष 2022 में 1032 मौत दर्ज की गई जबकि 2023 में 889 लोगों की मौत हुई। ऐसे कुछ आंकड़े हैं, जो दिखाते हैं कि प्रदेश में हादसों में कमी हो रही है।

दिव्य हिमाचल, दिनांक—01 जुलाई 2024

पेज न0—05, कालम—1,2,3,4,5,6

रोड सेफ्टी अभियान लांच करेंगे उपमुख्यमंत्री

आईजीएमसी शिमला के ऑडिटोरियम में आज होगा आगाज

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—शिमला



हिमाचल की अग्रणी मीडिया ग्रुप 'दिव्य हिमाचल' के सहयोग से मेडिकल कालेजों

में सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा केयर पर चलाए जा रहे अभियान का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार को करेंगे। आईजीएमसी मेडिकल कालेज शिमला के ऑडिटोरियम से इस अभियान का आगाज होगा। इसके बाद प्रदेश के अन्य छह मेडिकल कालेज में भी इसी तरह के आयोजन किए जाएंगे। इस

आयोजन में आईजीएमसी मेडिकल कालेज के मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग छात्राएं शामिल होंगी। परिवहन निदेशक डीसी नेगी, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक डा. राकेश शर्मा, आईजीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर, सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नरेश ठाकुर, डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ओंकार सिंह, डीएसपी रोड सेफ्टी सेल दुष्यंत सरपाल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पांच रिसोर्स पर्सन सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा केयर के महत्व के बारे में बताएंगे। इसमें राज्य के रोड एक्सीडेंट सिनेरियो के अलावा रोड सेफ्टी एक्टिविटी पर परिवहन विभाग, ट्रॉमा केयर में

ट्रॉमा केयर, मोटर व्हीकल रूल्स और एमएलसी पर फोकस

आईजीएमसी के अनुभवों पर प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर, गुड स्मार्टियन और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134ए पर एएसपी नरवीर राठौर अपना संबोधन देंगे। स्टूडेंट्स को एक्सीडेंट के बाद के एक घंटे के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। 'दिव्य हिमाचल' के इस आयोजन में परिवहन विभाग के अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतलुज जल विद्युत निगम, स्टीलबर्ड हेलमेट, टीवीएस और रात्रा ज्वेलर्स पार्टनर्स हैं।

दिव्य हिमाचल, दिनांक—12 जुलाई 2024

पेज न0—05, कालम—1,2,3

बिलासपुर का औहर गाड़ियों का चालान करने में अब्वल

कार्यालय संवाददाता — बिलासपुर

■ इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जून में 2508 चालान से 30 लाख वसूले

हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले बिगड़ैल वाहन चालकों पर शिकंजा कसने में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम

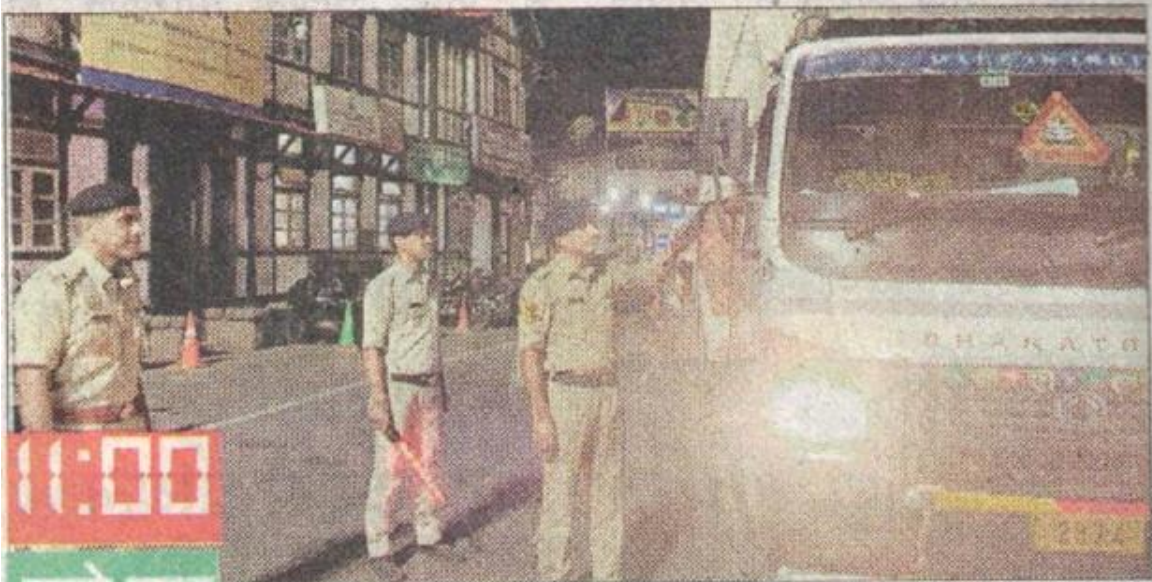
(आईटीएमएस) कारगर साबित हुआ है। प्रदेश में आईटीएमएस स्थापित होने के बाद प्रदेश भर में सैकड़ों वाहन चालकों पर शिकंजा

कसा गया है। इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से बिलासपुर का औहर आईटीएमएस पहले स्थान पर, घुमारवीं दूसरे व टापरी रामपुर आईटीएमएस तीसरे स्थान पर रहा है। जानकारी के अनुसार आईटीएमएस के माध्यम से जून माह में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा चालान बिलासपुर के औहर में कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर स्थित आईटीएमएस के माध्यम से किए गए हैं। कुल 2508 चालान करने के बाद 30 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूली है। इसके अलावा घुमारवीं में 1681 चालान से करीब 20 लाख रुपये व आईटीएमएस टापरी रामपुर जिला शिमला में 1108 चालान से करीब 13 लाख रुपये जुर्माना प्राप्त हुआ है। बता दें कि प्रदेश में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए फोरलेन, नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवे पर इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) स्थापित किए गए हैं। प्रदेश भर में वर्तमान में 70 आईटीएमएस कार्य कर रहे हैं। यहां से गुजरने वाले वाहन चालक यदि यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं, तो ऑटोमैटिक चालान कट जाता है। आईटीएमएस द्वारा अभी तक



ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और ओवर स्पीड पर वाहन चलाने वाले चालकों के चालान किए जाते हैं। हालांकि आईटीएमएस को शुरुआती चरण में ट्रायल बेस पर शुरू

किया गया था, लेकिन इनके साकारात्मक परिणाम आने के बाद इसे प्रशासन द्वारा सुचारू किया गया। इसके चलते अब लगातार इस तरह के बिगड़ैल वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिला बिलासपुर की बात की जाए, तो यहां सात स्थानों पर आईटीएमएस स्थापित किए गए हैं। इसमें चार कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन औहर, मंडी भराड़ी, बलोह, मैहला में हैं। साथ ही घुमारवीं अस्पताल के समीप, श्री नयनादेवी जी और पुलिस चौकी बिलासपुर के पास स्थित हैं। उधर, डीएसपी हैडक्वार्टर मदन धीमान ने कहा कि जून माह में आईटीएमएस औहर में प्रदेश भर में सबसे अधिक चालान हुए हैं। उन्होंने कहा कि आईटीएमएस से जून तरह के चालान होते हैं। यदि आईटीएमएस से गुजरने वाले वाहन चालक नियमों की अवहेलना करता है, तो वाहन चालक का ऑटोमैटिक चालान कट जाता है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम स्थापित होने से पुलिस कर्मियों की तैनाती करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने बताया कि यह सिस्टम यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए सबसे सफल साबित हुआ है।



बजे रात

छोटा शिमला में नाके पर वाहनों की जांच करती पुलिस। संवाद

ऑटोमैटिक इंस्पेक्शन सेंटर होंगे स्थापित : अग्निहोत्री

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बेहतर कदम उठा रही है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आईजीएमसी सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार शिमला में 1,655 करोड़ रुपये से रोपवे बना रही है। इसमें 24 स्टेशन शहर के विभिन्न स्थानों पर बनेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग 12 तैरिंगों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट

रेकग्निशन कैमरा लगाने का काम कर रही है।

ऑटोमैटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं। ऑटोमैटिक इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। इससे वाहनों की ऑटोमैटिक टेस्टिंग और पासिंग हो सकेंगे।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग विदेश जाने वाले हैं, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए अलग व्यवस्था तैयार की जाए। इससे लोगों को लाइसेंस बनाने में आसानी होगी।



मुकेश अग्निहोत्री बोले; जान है, तो जहान है

आईजीएमसी में प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप 'दिव्य हिमाचल' के रोड सेफ्टी अभियान में डिप्टी सीएम ने दिए टिप्स

कहा, हर दुर्घटना घातक, जान बचाने पर हीना चाहिए
केबिनेट मीटिंग और भी छोड़ कर 'दिव्य हिमाचल' के कार्यालय में पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री

शमिल इरोली-शिमला

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कोई भी दुर्घटना घातक होती है, अगर उसमें जान है तो जहान है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।

यहां दुर्घटना घातक होती है, लेकिन प्रदेश सरकार के अग्रणी के बाद दुर्घटना घातक होती है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।



शिमला - मुकेश को आईजीएमसी के सम्मान में रोड सेफ्टी कार्यक्रम में वरिष्ठ मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री



शिमला - आईजीएमसी के सम्मान में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी शर्मिला और बच्चे

अस्पतालों में गुड्स स्मार्टियन की तर्ज पर हो काम



शिमला। उपमुख्यमंत्री अग्रणी अग्निहोत्री ने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।

सड़क सुरक्षा पर सांवेनशीलता के लिए 'दिव्य हिमाचल' को सराहा

दिव्य हिमाचल। शिमला। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।

दिव्य हिमाचल। शिमला। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।

मेडिकल कालेजों में जाकर प्रशिक्षण के बजाए जाएं लॉजिंग लाइसेंस

दिव्य हिमाचल। शिमला। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।

रोड सेफ्टी अभियान के सहयोगियों को सम्मान दुर्घटना के बाद कैसे निपटन यह सीखना जरूर



दिव्य हिमाचल। शिमला

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया सम्मानित



शिमला। उपमुख्यमंत्री अग्रणी अग्निहोत्री ने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।

शिमला। उपमुख्यमंत्री अग्रणी अग्निहोत्री ने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।



मौख रिपोर्टर-शिमला

आईजीएमसी की प्रिंसीपल सीता ठाकुर बोली, स्टफ को होना चाहिए पूरा नॉले

शिमला। उपमुख्यमंत्री अग्रणी अग्निहोत्री ने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।

डाक्टरों का फर्ज मरीज को तुरंत उपचार देना

मौख रिपोर्टर-शिमला

आईजीएमसी के अग्रणी अग्निहोत्री ने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।

आईजीएमसी के अग्रणी अग्निहोत्री ने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना घातक होती है, इसलिए हमें जान बचाने के लिए सावधान रहना है।



शिमला - रोड सेफ्टी अभियान के दौरान सेल्फी फाइट पर डिप्टी सीएम व अन्य मण्डल

हिमाचल प्रदेश में मानवीय चूक से सबसे ज्यादा हादसे

मौख रिपोर्टर-शिमला

स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी के सचिव नरेश ठाकुर ने 'दिव्य हिमाचल' द्वारा आयोजित रोड सेफ्टी रोमिनार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्घटना के समय में सबसे महत्वपूर्ण एमर्जेंसी केयर है जिसके लिए चिकित्सकों की हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनकी रेजी से किसी की जान बच सकती है।

स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी के सचिव नरेश ठाकुर बोले, दुर्घटना के समय एमर्जेंसी केयर सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय एमर्जेंसी केयर सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय एमर्जेंसी केयर सबसे महत्वपूर्ण है।

सिंगल विंडो टैक्स प्रणाली होगी लागू

निजी बस ऑपरेटरों को परिवहन विभाग के निदेशक का आश्वासन, अन्य मांगों पर भी की चर्चा

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। निजी बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी और सचिव एसटीए नरेश कुमार ठाकुर के मुलाकात कर अपनी मांगें उठाईं।

निजी बस ऑपरेटरों की अगुवाई संघ के महासचिव रमेश कमल ने की। संघ ने विभाग के समक्ष टैक्स प्रणाली को सुविधाजनक बनने की मांग उठाई। निदेशक परिवहन डीसी नेगी ने बताया कि जल्द ही विभाग में सिंगल विंडो टैक्स प्रणाली लागू की जाएगी।

बसों की रिप्लेसमेंट की उम्र 8 साल से 12 साल करने के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा की गई। इस



शिमला में शनिवार को निजी बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारी परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी से मुलाकात करते हुए। अमर उजाला

योजना के तहत सरकार ने बाहरी राज्यों की बसें खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। निदेशक परिवहन ने यह मामला एसटीए की बैठक में उठाने का आश्वासन दिया। बसों की सीटिंग कैपेसिटी पर भी बैठक में

चर्चा की गई। रूट परमिट हस्तांतरण संबंधी मामले को निपटाने की शक्तियां आरटीओ स्तर के अधिकारियों को देने पर भी चर्चा हुई। इसे लेकर कानूनी पहलुओं के आधार पर निर्णय लेने

का आश्वासन दिया गया। बैठक में हिमालयन निजी बस ऑपरेटर यूनियन के महासचिव अतुल चौहान, दूनी चंद लेपटा, जगदीश ठाकुर, शिमला सिटी बस ऑपरेटर यूनियन के उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, सोलन जिला के बस ऑपरेटर प्रताप ठाकुर एवं सुनीता सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

पूर्व भाजपा सरकार की ओर से एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराये में दी गई 50 फीसदी छूट को समाप्त करने के लिए निदेशक परिवहन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। निजी बस ऑपरेटरों ने छूट वापस न लेने पर बसों की चाबियां आरटीओ कार्यालयों में जमा करने का एलान किया है।

अमर उजाला, दिनांक 21 जुलाई 2024

पेज न0 10, कालम-2,3,4,5

जागरूक कब होंगे हम?

भा रत में साल 2022 में कुल 4 लाख 61 हजार से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिनमें 1 लाख 68 हजार लोगों की मौत हो गई। औसतन रोजाना 1264 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 462 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े 2022 के हैं, लेकिन अब भी ऐसा कोई दिन नहीं गुरजता, जब देश में छोटे और बड़े सड़क हादसों की खबरें न आती हों। यह चिंता से अधिक चिंतनीय विषय है। ऐसा लगता है कि ये सड़कें और वाहन, सड़क और वाहन न होकर मौत के



साधन बन गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हादसों की वजह क्या है? किसकी गलती से इतने लोगों की जानें चली जाती हैं? इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है?

वास्तव में, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तरफ ड्राइवरों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही भी कम दोषी नहीं है। अगर तेज रफ्तार इसकी वजह है तो कई जगह सड़कों की खराब स्थिति भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आती है। तेज रफ्तार, नशाखोरी, जल्दबाजी में बेतरतीब ओवरटेक करने, मोबाइल पर बात करने, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, यातायात नियमों से अनभिज्ञ होने, बारिश में पानी होते हुए वाहन चलाने जैसे कई कारण इन हादसों के बाद सामने आते हैं। उसके बाद भी न कोई नसीहत, न सीख दी जाती है। हर साल देश में यातायात सप्ताह मनाया जाता है और वाहन चालकों को सड़क हादसों से बचने के लिए जागरूक किया जाता है। उन्हें यातायात नियमों से भी परिचित कराया जाता है। इसके बाद भी इन सड़क हादसों में कमी नहीं आती। इसलिए वाहन चलाते समय खुद की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य चालकों की सुरक्षा का ध्यान भी रखना चाहिए।

अमर उजाला, दिनांक.21 जुलाई 2024
पेज न0 15, कालम-2

No special road tax for trucks from other states

SHIMLA, JULY 24

The state government has exempted truck drivers from other states from the Special Road Tax (SRT) during the current apple season in the state.

Trucks from other states entering Himachal, which are not covered under the National Permit, have been granted immediate exemption from SRT for transporting apples and potatoes to other states. The Transport Department has issued a notification in this regard.

Deputy CM Mukesh Agni-

hotri today said that the state government was committed to protecting the interests of horticulturists and farmers. "Transport Department is making continuous efforts to facilitate the transportation of horticultural and agricultural products and provide all possible assistance to them. Exempting SRT for apple and potato transportation will benefit all stakeholders," he said.

He said that all preparations have been completed by the Transport Department in view of the monsoon and apple season. — TNS

हिट एंड रन मामले के दोषी को सात साल कैद, एक लाख जुर्माना

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ■ जालागढ़

जालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हिट एंड रन के मामले में बददी के ढेला गांव के अश्वनी कुमार को सात साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायवादी देवेन्द्र सिंह चंदेल ने बताया कि 13/14 मई 2013 की मध्यरात्रि को दोषी अश्वनी कुमार शराब का अत्याधिक नशा करके टेंपो को लापरवाही के साथ तेज रफ्तारी से चलाते हुए बददी-बरोटीवाला मड़क नजदीक पुलिस थाना बददी पर पहुंचा तथा उसी समय आरक्षी सुमित सैन जो कि प्रथम पुलिस आरक्षित वाहिनी, वनगढ़ में तैनात था तथा हाल में ही पुलिस बैरियर बददी पर अस्थायी ड्यूटी पर तैनात था, अपनी ड्यूटी के लिए अपनी स्कूटी पर सही दिशा में जा रहा था तो दोषी टेंपो चालक अश्वनी कुमार ने गलत दिशा में जाकर स्कूटी चालक पुलिस मुलाजिम आरक्षी सुमित सैन को टक्कर मार दी और

टेंपो को लेकर मौके से भाग गया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इससे हादसाग्रस्त स्कूटी के टुकड़े-टुकड़े हो गए तथा मृतक सुमित सैन की कारबाईन राइफल भी हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई थी। दोषी टेंपो चालक अश्वनी के मेडिकल परीक्षण के समय चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने हादसे के समय भारी मात्रा में शराब के सेवन किए जाने पुष्टि की थी। इस पर धारा 279, 304ए ए भारतीय दंड संहिता व धारा 181, 185, 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बददी में दर्ज हुआ था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर दोषी टेंपो चालक अश्वनी कुमार को हिट एंड रन की धारा 304 ए के तहत 7 साल के कठोर कारावास व 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई इसके अतिरिक्त एमवी एक्ट की धारा 185, 187, 181 में क्रमशः 1-1 माह व 15 दिन कारावास की सजा सुनाई है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 25 जुलाई 2024

पेज न0-08, कालम-2,3

लापरवाह चालकों से सावधान सड़कों पर जरा संभल कर चलें

हर माह आ रहे वाहनों से टक्कर के मामले, सड़क के किनारे चलना और क्रॉस करना बना चुनौती

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। राजधानी शिमला की सड़कों पर लापरवाह चालक राहगीरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। हालत यह है कि लोगों के लिए सड़क के किनारे चलना और आरपार करना मुश्किल हो गया है।

शहर में आए दिन सामने आने वाले हादसों से पैदल आवाजाही करने वाले लोग सहमे हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि शहर की सड़कों पर जेबरा क्रॉसिंग तो बनी है लेकिन वहां सड़क क्रॉस करने के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं है।

इस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सड़क आरपार करने को मजबूर हैं। कई हादसों में सामने आया है कि वाहन चालक राहगीर को टक्कर मारने के बाद फरार हो जाते हैं। लोगों ने पुलिस और आरटीओ विभाग से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

बीसीएस में सड़क पार करते समय वाहन ने मारी टक्कर

केस वन

आई है। पुलिस को दो शिकायत में अशोक कुमार निवासी डॉक्टर कालोनी पंचायती ने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे वह डायमंड रेस्तरां के पास सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान एक फिफ्टीएन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें चोट आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।



पुराना बस स्टैंड में युवती को मारी थी टक्कर

केस तीन

सदर थाना के तहत 24 जून को हिट एंड रन का मामला सामने आया था। अदिति शर्मा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि वह मालरोड शिमला आई थी। इस दौरान जब वह दोस्तों के साथ पुराना बस स्टैंड के समीप विंटर फील्ड पहुंची और सड़क पार करने लगी तो एक कार चालक तेजरफ्तारी से आया और उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में युवती घायल हो गई थी। इस तरह के कई हादसे शिमला शहर में होते रहते हैं।

शिव मंदिर के पास वाहन की टक्कर से राहगीर घायल

केस दो

न्यू शिमला में ही शिव मंदिर के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने न्यू शिमला निवासी डमेश को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। इस हादसे में राहगीर की दोनों टांगों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने इस संबंध में शिकायत के आधार पर मायला दर्ज कर लिया था। पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस नियमित रूप से कार्रवाई अमल में ला रही है। इससे सड़कों पर लोगों को सुरक्षित आवाजाही की सुविधा मिल सके।

—संजीव कुमार गंधी, पुलिस अधीक्षक शिमला

जीप दुर्घटनाग्रस्त 16 लोग घायल

रोहड़ू। दोघी के समीप यात्रियों से ओवरलोड जीप के पलटने से 16 लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना तेज रफ्तार में ओवरटेक करते समय चालक के नियंत्रण खो जाने से हुआ। गनीमत रही कि जीप सड़क पर तीन-चार पलटने लिए और खाई में गिर जाने से बच गई और यात्रियों की जान पर से खतरा टल गया।

जानकारी के अनुसार, वीरवार को दोपहर बाद करीब डेढ़ बजे शिमला-हाटकोटी मार्ग पर दोघी के पास यह दुर्घटना हुई। शिमला से रोहड़ू आ रही जीप में चालक समेत 16 लोग सवार थे। इस वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां थीं। वहीं रफ्तार में भी तेज थी।

दोघी के पास चालक ने तेज रफ्तार में एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान वह नियंत्रण खो बैठा, जिससे सवारियों से भरी तेज रफ्तार जीप ने सड़क पर तीन-चार पलटने लिए। गनीमत रही कि जीप गहरी खाई में गिरने से बच गई और सवारियों की जान बच गई। चालक की इस लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। संवाद

अमर उजाला,, दिनांक 26 जुलाई 2024

पेज न0 -05, कालम न0-1,2,3,4

चंबा ने जाना सड़क हादसों से कैसे करें बचाव

‘दिव्य हिमाचल’ मीडिया ग्रुप के सौजन्य से पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज में आयोजित रोड सेफ्टी सेमिनार में विशेषज्ञों ने सड़क सुरक्षा पर दिया ज्ञान, दुर्घटना के शिकार लोगों को स्वास्थ्य संस्थानों में होने वाले जरूरी प्रबंधों पर किया जागरूक, मोटर व्हीकर एक्ट के बेसिक कानून भी बताए

दीपक शर्मा — चंबा

प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप ‘दिव्य हिमाचल’ की ओर से गुरुवार को पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज में रोड सेफ्टी पर प्रशिक्षु चिकित्सकों के लिए अर्धदिन चर्चा पौलेस के दरबार हाल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय सेमिनार में पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल-क्रम-डीन डा. एसएस डोगरा मुख्यातिथि के



तौर पर उपस्थित हुए। सेमिनार में डीएसपी हैडक्वार्टर जितेंद्र चौधरी और मेडिकल कालेज के इंडी रोग विशेषज्ञ डा. माणिक सहगल ने स्रोत व्यक्ति के तौर पर अपनी सेवाएं दीं। सेमिनार के दौरान मंच का संचालन एमबीबीएस प्रशिक्षु मन्ना ने किया। इस सेमिनार में डा. माणिक सहगल ने सड़क हादसों के बाद शिकारियों के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में किस तरह के प्रबंध होने चाहिए, के बारे में जागरूक किया। उन्होंने सड़क

हादसों के बाद एक्ससीडेंट ट्रामा, एमएलीसी, फर्स्ट गोल्डन आवर्स एक्ससीडेंट, अवयरेनेस ऑफ पैरामेडिक्स के बारे में जानकारी दी। डीएसपी हैडक्वार्टर जितेंद्र चौधरी ने मोटर व्हीकर एक्ट के तमाम तरह के बेसिक कानून के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने मेडिकल प्रशिक्षुओं को ट्रैफिक नियमों की पालना के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि देश में हर वर्ष अर्धद्वितीय लोग सड़क हादसों में जान गंवा देते हैं, जबकि साढ़े चार लाख लोग घायल होते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों की पालना से ही इस



आंकड़े को कम किया जा सकता है। मुख्यातिथि डा. एसएस डोगरा ने भी मेडिकल प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने ‘दिव्य

हिमाचल ग्रुप’ की रोड सेफ्टी सेमिनार के जरिए प्रशिक्षुओं को जागरूक करने की पहल की भी सराहना की। (एचडीएम)

दिव्य हिमाचल, दिनांक 26 जुलाई 2024

पेज न0 -04, कालम न0-1,2,3,4,5

‘दिव्य हिमाचल’ मीडिया ग्रुप के सौजन्य से आरकेजीएमसी में आयोजित रोड सेफ्टी सेमिनार में विशेषज्ञों ने सड़क सुरक्षा पर दिया ज्ञान, एमबीबीएस प्रशिक्षुओं ने भी रखे विचार

घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले से नहीं की जाती पूछताछ

सुरेंद्र ठाकुर - हमीरपुर



प्रदेश के नंबर वन मीडिया ग्रुप ‘दिव्य हिमाचल’ की तरफ से डाक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कालेज हमीरपुर में सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन

सोनिवार के दिन किया गया। आरकेजीएमसी के थिएटर-वन में आयोजित सेमिनार में एमबीबीएस प्रशिक्षुओं ने सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जाना। मुख्य वक्ताओं के रूप में

मेडिकल कालेज हमीरपुर के प्राचार्य डा. रमेश भारती, आरटीओ हमीरपुर अंकुश शर्मा, सब इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह, एचओडी मेडिसिन डा. सुभाष मौजूद रहे। सेमिनार में पहुंचे मुख्य वक्ताओं का ‘दिव्य हिमाचल’ मीडिया ग्रुप की तरफ से स्वागत किया गया। सभी वक्ताओं ने सड़क सुरक्षा के ऊपर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि सड़क हादसों के दौरान गोल्डन ऑवर में यदि मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाए तो जीवन बचाया जा सकता है। एमबीबीएस प्रशिक्षुओं ने भी इस दौरान



सड़क हादसों पर अपने विचार व्यक्त किए। सड़क सुरक्षा सेमिनार में पहुंचे वक्ताओं ने हादसे के बाद एक्सीडेंट ट्रामा, फर्स्ट गोल्डन ऑवर्स, पैरामेडिक्स के बारे में जानकारी प्रदान की। मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा. रमेश भारती ने कहा कि सड़क हादसों में पूरे भारत वर्ष में लाखों लोगों की जान चली जाती है। यदि सड़क हादसों के लिए सड़क सुरक्षा

नियमों का पालन किया जाए तो कई सड़क हादसों को कम किया जा सकता है। हादसों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि सभी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक हों। वहीं आरटीओ हमीरपुर अंकुश शर्मा ने भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। सड़क हादसों का कारण सड़क मार्गों का सही न होना भी है। इसके साथ ही लोगों की लापरवाही भी सड़क हादसों का कारण बनती है। यदि कोई हादसा हो जाता है तो पहला कर्तव्य धायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना होना चाहिए। वहीं पुलिस विभाग की तरफ से पहुंचे सब इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध

■ मोटर व्हीकल एक्ट के मूलभूत कानून भी बताए

करवाई। उन्होंने कहा कि यदि हादसे के बाद कोई व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उससे पुलिस किसी भी तरह को कोई पूछताछ नहीं करती है। मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रावधान है कि मदद करने वाले से अनावश्यक पूछताछ नहीं की जाए। ऐसे में निःसंकोच हादसे में धायलों को मदद करनी चाहिए ताकि अनमोल ब्रिंदगियां बचाई जा सकें। सभी वक्ताओं ने ‘दिव्य हिमाचल’ मीडिया ग्रुप के इस प्रयास की सराहना की। एचडीएम

दिव्य हिमाचल, दिनांक-28 जुलाई 2024

पेज न0-05, कालम-1,2,3,4,5

ट्रक आपरेटर पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ

सेब सीजन में सुरक्षित सफर के लिए रोड सेफ्टी पर चलेगा जागरूकता अभियान

वीफ रिपोर्टर - शिमला

सेब सीजन के दौरान प्रदेश में बड़ी संख्या में ट्रक आपरेटर पहुंचते हैं। इनमें अधिकांश ट्रक आपरेटर हिमाचल के बाहर से होते हैं, जो यहां पर बागबानों का सेब लेकर दिल्ली व दूसरे महानगरों में जाते हैं। इनके लिए सरकार ने टैक्स में भी छूट दे दी है, परंतु इसके साथ इन ट्रक आपरेटरों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाना भी जरूरी है। इस बार विशेष रूप से ट्रक आपरेटरों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान प्रदेश में चलेगा, जिसके लिए बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में बागबानी मंत्री के साथ अधिकारियों की



बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि ट्रक चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताएं। इस पर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की सभी मंडियों में सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर प्रचार किया जाएगा। वहां पहुंचने वाले ट्रक आपरेटरों से चर्चा की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि पहाड़ में वह कैसे सुरक्षित सफर करें। मंडियों में विशेष रूप से प्रचार सामग्री लगाई जाएगी जहां जागरूकता को लेकर सभी तरह की

जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सीजन के दौरान नेशनल हाई-वे पर भी सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। जहां-जहां पर ट्रक चालक मिलेंगे, उनको बताया जाएगा कि सुरक्षा की दृष्टि से उनको क्या करना है। दूसरे राज्यों के ट्रक आपरेटरों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है, जो सेब का इंतजार कर रहे हैं। अभी सेब सीजन शुरुआत में है और धीरे-धीरे उफान पर आएगा। ऊपरी शिमला के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से अभी सेब मंडियों में पहुंच रहा है। पहली अगस्त से यहां सेब की ज्यादा आमद होनी शुरू हो जाएगी और तब यहां पर बड़ी संख्या में ट्रक आपरेटर भी पहुंच जाएंगे। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए

- बागबानी मंत्री ने परिवहन विभाग को दिए निर्देश
- सभी मंडियों में लगेगी प्रचार सामग्री, एनएच पर भी ज्ञान

अलग से एक सैल स्थापित किया गया है, जिसे जिम्मेदारी दी है कि वह सेब सीजन के दौरान इससे संबंधित प्रचार करें और ट्रक आपरेटरों को जागरूक करें। इससे यहां पर सड़क हादसों में कमी आएगी। सड़क हादसे प्रदेश में पहले से कम हो चुके हैं, जिनमें और ज्यादा कमी करने की तैयारी चल रही है। यहां पर ब्लैक स्पॉट भी लगभग खत्म कर दिए गए हैं, जिसमें अभी नई सूची का इंतजार किया जा रहा है।

दिव्य हिमाचल, दिनांक-28 जुलाई 2024

पेज न0-02, कालम-2,3,4,5

परिवहन विभाग ने वसूला 1.68 लाख रुपये जुर्माना

शिमला। परिवहन विभाग ने शिमला से रामपुर तक जगह-जगह नाके लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले बसों, टैक्सियों और निजी वाहनों के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की।

आरटीओ हेडक्वार्टर फ्लाईंग स्क्वाड की टीम ने इस दौरान 1,68,500 रुपये जुर्माना वसूला। फ्लाईंग स्क्वाड ने 26 जुलाई तक यह कार्रवाई अमल में लाई है। विभाग के मुताबिक ठियोग, नारकंडा और कुमारसैन और रामपुर में इस दौरान जगह-जगह नाकाबंदी कर करीब 300 वाहनों की जांच की गई है। इसमें निजी

बसें, टैक्सियां, पिकअप, ट्रक और निजी वाहन शामिल हैं। अधिकतर चालान स्टेट रोड टैक्स (एसआरटी) नहीं भरने, वाहनों की इंश्योरेंस न होने, लाइसेंस न होने, टैक्सियां परमिट नियमों की अवहेलना के काटे गए हैं। टीम ने विभिन्न श्रेणी करीब 70 वाहनों के चालान काटे हैं।

आरटीओ शिमला अनिल कुमार ने बताया कि आरटीओ और फ्लाईंग स्क्वाड की टीम ने शिमला शहर समेत विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी कर नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की है। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक-28 जुलाई 2024

पेज न0-06, कालम-3,4

पंजाब से हिमाचल प्रदेश के लिए ओवरलोड आ रहे सीमेंट के ट्रक

18 टन क्षमता वाले ट्रक में लादा जा रहा 25 टन माल, नियमों की अनदेखी पर हो रहे चालान

संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। बिलासपुर-सोलन सीमा पर बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में लगे ट्रक ऑपरेटरों ने तीन माह से डंपों पर सीमेंट की ढुलाई बंद कर रखी है।

इसके बाद से ही कंपनी पंजाब के बघेरी प्लांट से प्रदेश के डंपों पर सीमेंट की सप्लाई कर रही है। बघेरी से अधिकतर ट्रकों में ओवरलोड माल आ रहा है। इसका खुलासा स्वारघाट में एआरटीओ की ओर से किए जा रहे चालान में हुआ है।

10 पहिये वाले ट्रकों में 25 टन माल भरा हुआ मिला है, जबकि इन ट्रकों में 18 टन की ही क्षमता निर्धारित है। परिवहन विभाग की कार्रवाई के बावजूद ओवरलोडिंग नहीं रुक रही है। मात्र चालान काटने भर से ट्रक ऑपरेटरों पर इसका असर होता नहीं दिख रहा है



स्वारघाट में ओवरलोड ट्रकों के काटे गए चालान। संवाद



और ओवरलोडिंग जारी है। विभाग के पास भी ओवरलोडिंग पर सिर्फ चालान काटने का अधिकार है। इसके अलावा विभाग वाहन चालक का लाइसेंस रद्द के लिए संबंधित ऑथोरटी को सिफारिश कर सकता है, लेकिन सिफारिश भी कुछ मामलों में की जाती है।

प्रदेश में आ रहे ओवरलोड ट्रकों से हादसों का भी अंदेशा है। साथ ही ओवरलोड ट्रकों से प्रदेश की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। बता दें कि बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट

में लगे ट्रक ऑपरेटरों ने प्रदेश के डंपों पर सीमेंट की ढुलाई बंद कर दी है।

ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि फोरलेन बनने और सड़कों की स्थिति अच्छी होने के बाद हमीरपुर के भोटा, मंडी के नेरचौक स्थित सीमेंट डंपों की दूरी औसतन 60 किलोमीटर रह गई है।

इस दूरी को ट्रक चालक एक से डेढ़ घंटे में पूरा कर लेते हैं, जबकि प्लांट में सीमेंट लोड करने से लेकर डंप पर सीमेंट लोड करने



ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालकों से अपील है कि ओवरलोडिंग न करें। इससे सड़क हादसा होने का अंदेशा रहता है। साथ ही सड़कों और संबंधित वाहन को भी नुकसान होता है। ओवरलोडिंग से हादसे का खतरा बना रहता है। इससे जान माल का भी नुकसान होता है। राजेश कौशल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

की प्रक्रिया में चार से पांच दिन लगते हैं। ट्रक ऑपरेटर यदि पांच दिन में 500 से 800 रुपये कमाएगा तो उसका गुजारा कैसे होगा। ऑपरेटरों ने मांग की है कि प्रदेश के डंपों को बंद करके सीधी ढुलाई डीलरों को जाए या फिर डंप की दूरी कम से कम 150 किलोमीटर होनी चाहिए।

अमर उजाला, दिनांक-28 जुलाई 2024

पेज न0-06, कालम-1,2,3,4

बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय

आज के दौर में सड़क और परिवहन सबके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। वर्तमान परिवहन ने दूरियां तो कम कर दी हैं, मगर मानव जीवन के लिए खतरा बढ़ गया क्योंकि हर साल सड़क दुर्घटना में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, करोड़ों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई हजारों लोग अपाहिज हो जाते हैं। कई-कई दुर्घटनाओं में तो पूरा परिवार काल का ग्रास बन जाता है। किसी के कुल का चिराग (पुत्र) बुझ जाता है तो किसी के सिर से पिता का साया उठ जाता है। किसी के घर की रौनक (पुत्री) अपनी जान से हाथ धो बैठती है तो किसी घर की धुरी (मां) हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है और इस तरह एक हंसता खेलता परिवार पलभर में बिखर जाता है, टूट जाता है। किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर फिर दोष मढ़ते हैं कभी सरकारों पर, कभी हालातों पर, कभी किसी दूसरे की चूक पर, लेकिन अपनी गलती नहीं सुधारेंगे। खुद नियम का पालन नहीं करेंगे। हम चाहते हैं सभी सारे नियम-कानूनों का पालन करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य अच्छी तरह समझने होंगे। 'मेरे अकेले के नियम-पालन से क्या होगा', यदि यही सोच हर व्यक्ति में पनपती है तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। इसी सोच को बदलना है और शुरुआत खुद से करनी है। एक को देखकर कई लोग फॉलो करते हैं और इसी तरह हर व्यक्ति फॉलो करने लग जाएगा। अधिकांश दुर्घटनाओं में चालक की भूमिका अहम रहती है, बहुत सारे मामलों में दुर्घटनाएं या तो लापरवाही के कारण होती हैं या फिर सड़क सुरक्षा जागरूकता की कमी के कारण होती हैं। कोई भी वाहन चलाते समय

-विषण्ण गाजटा-

चालक को ड्राइविंग पर पूरा फोकस रखना चाहिए। सफर यदि लंबा है तो आराम भी अवश्य करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग गाड़ियों के बीच सही दूरी भी बनाकर नहीं चलते जोकि बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। नशा करके गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए, ज्यादातर हादसे इसी वजह से होते हैं। सड़क पर पैदल चलने वाले को भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जैसे कि हमेशा बाएं चलें। सड़क पर करनी है तो संभलकर करें और रेड सिग्नल होने पर ही करें। बच्चे साथ हैं तो उनका हाथ हमेशा पकड़कर चलें। ज्यादातर चलने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपनी और अपनों की जान को सुरक्षित कर पाएंगे। जैसे एक ताजातरीन घटना में कालका-शिमला हाईवे पर चलती गाड़ी के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने पर एक व्यक्ति की मौत और अन्य तीन घायल हो गए। अब इसमें किसको दोष दें, प्रशासन को जो दिन-रात सड़कों को चौड़ा करने में लगा है ताकि ट्रैफिक से छुटकारा मिले। ये सोचे बगैर कि ज्यादा कटाई करने से पहाड़ कमजोर हो जाएंगे और बरसात में दरक जाएंगे या फिर उन लोगों को जो अपनी जान की परवाह किए बगैर और परिस्थिति का जायजा लिए बगैर कभी भी घूमने निकल पड़ते हैं। शासन-प्रशासन और प्रत्येक व्यक्ति, सभी को एकजुट होकर इस विषय के प्रति जागरूक होना होगा, तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है।